

Title : Papers laid on the Table of the House by Ministers/Members

THE MINISTER OF FINANCE; AND MINISTER OF CORPORATE AFFAIRS (SHRIMATI NIRMALA SITHARAMAN): Hon. Speaker, Sir, I beg to lay on the Table a copy each of the following papers (Hindi and English versions):-

1. Economic Survey 2023-24.
2. Economic Survey 2023-24 - Statistical Appendix.

(Placed in Library, See No. LT 164/18/24)

SHRI N. K. PREMACHANDRAN (KOLLAM): Sir, kindly provide hard copy of the Economic Survey. It is very difficult to read. ? (*Interruptions*)

माननीय अध्यक्ष : माननीय सदस्यगण, हम पर्यावरण के प्रति चिंतित हैं, इसलिए कागज बचाना हम सबका कर्तव्य है।

? (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : माननीय सदस्य, आप मेरे चैंबर में आकर सुझाव दे देना।

? (व्यवधान)

कौशल विकास और उद्यमशीलता मंत्रालय के राज्य मंत्री; तथा शिक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जयंत चौधरी) :
अध्यक्ष महोदय, मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूँ:-

(1) (एक) राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद, नई दिल्ली के वर्ष 2022- 2023 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(दो) राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद, नई दिल्ली के वर्ष 2022-2023 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।

(तीन) राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद, नई दिल्ली के वर्ष 2022-2023 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(2) उपर्युक्त (1) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(Placed in Library, See No. LT 165/18/24)

माननीय अध्यक्ष : माननीय सदस्यगण, मैं एक और विषय के बारे में बताना चाहता हूँ। कई नए माननीय सदस्य आए हैं, ताकि उनको जानकारी हो जाए। जब सभा पटल पर पत्र रखे जा रहे हों, तब बीच में टिप्पणी नहीं करते हैं। अगर आपको कोई सुझाव देना है, तो दे दें। अगर आपका सुझाव उचित होगा, तो माना जाएगा।

? (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : आप सीनियर मेंबर हैं, आपका सुझाव मेरे ध्यान में है।

? (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : आइटम नंबर - 5, श्री पंकज चौधरी जी ।

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पंकज चौधरी) : अध्यक्ष महोदय, मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूँ:-

(1) केन्द्रीय माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 की धारा 166 के अधीन निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):-

(एक) सा.का.नि.902(अ) जो दिनांक 20 दिसंबर, 2023 को भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय तमिलनाडु के कुछ जिलों में पंजीकृत व्यक्तियों के लिए नवंबर, 2023 के माह के लिए फॉर्म जीएसटीआर-3 ख में रिटर्न प्रस्तुत करने की नियत तारीख बढ़ाना है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(दो) सा.का.नि.5483(अ) जो 28 दिसंबर, 2023 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय केन्द्रीय माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 की धारा 168 क के अधीन दी गई शक्तियों के प्रयोग में निर्दिष्ट अनुपालन की तारीख बढ़ाना है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(तीन) सा.का.नि.30(अ) जो दिनांक 05 जनवरी, 2024 को भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय तमिलनाडु के कुछ जिलों में पंजीकृत व्यक्तियों के लिए नवंबर, 2023 के माह के लिए फॉर्म जीएसटीआर-3 ख में रिटर्न प्रस्तुत करने की नियत तारीख बढ़ाना है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(चार) केन्द्रीय माल और सेवा कर (संशोधन) नियम, 2024 जो 05 जनवरी, 2024 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं. सा.का.नि.31(अ) में प्रकाशित हुए थे।

(पाँच) का.आ.84(अ) जो 05 जनवरी, 2024 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था जिसके द्वारा दिनांक 31 जुलाई 2023 की अधिसूचना सं. का.आ. 3424(अ) को निरसित किया गया है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(छह) का.आ.85(अ) जो दिनांक 5 जनवरी, 2024 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसका आशय उसमें उल्लिखित कतिपय वस्तुओं के निर्माण में लगे किसी पंजीकृत व्यक्ति द्वारा अपनाई जाने वाली विशेष प्रक्रिया को अधिसूचित करना है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(सात) सा.का.नि.77(अ) जो दिनांक 30 जनवरी, 2024 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा दिनांक 19 जून, 2017 की अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 609(अ) में कतिपय संशोधन किए गए हैं तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(आठ) का.आ.818(अ) जो दिनांक 22 फरवरी, 2024 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसका आशय केंद्रीय माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 की धारा 158A की उप-धारा (2) के अधीन "आसान ऋण हेतु सार्वजनिक तकनीकी मंच" को एक प्रणाली के रूप में अधिसूचित करना है जिसके द्वारा सहमति के आधार पर सामान्य पोर्टल द्वारा जानकारी साझा की जा सकती है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन ।

(नौ) का.आ.1642(अ) जो दिनांक 8 अप्रैल, 2024 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसका आशय विनिर्दिष्ट कर अवधि के लिए विनिर्दिष्ट पंजीकृत व्यक्तियों के लिए ब्याज माफ करना है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(दस) का.आ.1663(अ) जो दिनांक 10 अप्रैल, 2024 को भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसका आशय दिनांक 5 जनवरी, 2024 की अधिसूचना संख्या का.आ.85(अ) के कार्यान्वयन की समयसीमा को 1 अप्रैल, 2024 से बढ़ाकर 15 मई, 2024 करना है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(ग्यारह) सा.का.नि.246(अ) जो दिनांक 12 अप्रैल, 2024 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय मार्च 2024 के माह के लिए फॉर्म जीएसटीआर-1 दाखिल करने की नियत तारीख को बढ़ाना है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(बारह) सा.का.नि.296(अ) जो दिनांक 29 मई, 2024 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा दिनांक 19.06.2017 की अधिसूचना संख्या सा.का.नि.609(अ) में कतिपय संशोधन किए गए हैं तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(तेरह) सा.का.नि. 297(अ) जो दिनांक 30 मई, 2024 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा दिनांक 19.06.2017 की अधिसूचना संख्या सा.का.नि.609(अ) में कतिपय संशोधन किए गए हैं तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(Placed in Library, See No. LT 166/18/24)

(2) शेयर बाजार घोटाले और उससे संबंधित मामलों पर संयुक्त संसदीय समिति की सिफारिशों के अनुसरण में की गई कार्रवाई पर 42 वें प्रगति प्रतिवेदन,? जुलाई 2024 की एक प्रति (हिन्दी और अंग्रेजी संस्करण)।

(Placed in Library, See No. LT 167/18/24)

(3) सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 की धारा 159 के अधीन निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):-

(एक) सा.का.नि.183(अ) जो दिनांक 12 मार्च, 2024 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय दिनांक 30.06.2017 की अधिसूचना संख्या 50/2017-सीमा शुल्क में संशोधन करना है ताकि चिकित्सा, शल्य दंत चिकित्सा या पशु चिकित्सा में उपयोग की जाने वाली एक्स-रे मशीनों के विनिर्दिष्ट भागों

पर लागू बीसीडी दर को बदला जा सके तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(दो) सा.का.नि.53(अ) जो दिनांक 22 जनवरी, 2024 को भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय दिनांक 30.06.2017 की अधिसूचना संख्या 50/2017-सीमा शुल्क में संशोधन करके प्रयोग किए गए उत्प्रेरक और कीमती धातु युक्त राख पर बीसीडी को बढ़ाकर 10% करना है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(तीन) सा.का.नि.54(अ) जो दिनांक 22 जनवरी, 2024 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय दिनांक 02.02.2018 की अधिसूचना संख्या 11/2018-सीमा शुल्क में संशोधन करके समाज कल्याण अधिभार (एसडब्ल्यूएस) से कतिपय प्रविष्टियों में छूट देना है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(चार) सा.का.नि.55(अ) जो दिनांक 22 जनवरी, 2024 को भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय दिनांक 01.02.2021 की अधिसूचना संख्या 11/2021-सीमा शुल्क में संशोधन करके उसमें उल्लिखित टैरिफ शीर्षों के अधीन आने वाली प्रविष्टियों पर कृषि अवसंरचना और विकास उपकर (एआईडीसी) लगाना है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(पाँच) सा.का.नि.72(अ) जो दिनांक 29 जनवरी, 2024 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय 31 मार्च, 2024 को व्यपगत होने वाली छूटों की वैधता को 30 सितंबर, 2024 तक बढ़ाने के लिए 50/2017-सीमा शुल्क में संशोधन करना है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(छह) सा.का.नि.73(अ) जो दिनांक 29 जनवरी, 2024 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय 31 मार्च, 2024 को व्यपगत होने वाली छूटों की वैधता को 30 सितंबर, 2024 तक बढ़ाने के लिए विभिन्न अधिसूचनाओं में संशोधन करना है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(सात) सा.का.नि.78(अ) जो दिनांक 30 जनवरी, 2024 भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय दिनांक 30.06.2017 की अधिसूचना संख्या 50/2017-सीमा शुल्क में संशोधन करना है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(आठ) सा.का.नि.79(अ) जो दिनांक 30 जनवरी, 2024 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय सेलुलर मोबाइल फोन के विनिर्दिष्ट पुर्जों/उप-पुर्जों पर लागू बीसीडी दर को बदलने के लिए दिनांक 30.06.2017 की अधिसूचना संख्या 57/2017-सीमा शुल्क में संशोधन करना है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(नौ) सा.का.नि.115(अ) जो दिनांक 19 फरवरी, 2024 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय अधिसूचना संख्या 50/2017-सीमा शुल्क दिनांक 30.06.2017 का संशोधन करना है ताकि विनिर्दिष्ट फ्रोजन टर्की मांस, क्रैनबेरी, ब्लूबेरी, उनके प्रसंस्कृत उत्पादों और एक्सट्रा लॉन्ग स्टेपल कपास के आयात पर मूल सीमा शुल्क को कम किया जा सके/छूट दी जा सके तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(दस) सा.का.नि.116(अ) जो दिनांक 19 फरवरी, 2024 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय अधिसूचना संख्या 11/2021-सीयूएस दिनांक 01.02.2021 में संशोधन करना है ताकि टैरिफ मद 5201 00 25 के तहत आने वाले वस्तुओं पर एआईडीसी की छूट दी जा सके तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(ग्यारह) सा.का.नि.121(अ) जो दिनांक 21 फरवरी, 2024 को भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय अधिसूचना संख्या 55/2022-सीमा शुल्क, दिनांक 31.10.2022 और अधिसूचना संख्या 64/2023-सीमा शुल्क, दिनांक 07.12.2023 में संशोधन करना है ताकि पारसेला चावल पर निर्यात शुल्क की अंतिम तिथि को हटाने और पीले मटर के आयात पर विनिर्दिष्ट शर्त निर्धारित करने के लिए कि उक्त आयात को 30.04.2024 को या उससे पहले जारी किए गए बिल ऑफ लैडिंग के विरुद्ध अनुमति दी जाएगी तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(बारह) सा.का.नि.158(अ) जो दिनांक 6 मार्च, 2024 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय अधिसूचना संख्या 50/2017-सीमा शुल्क, दिनांक 30.06.2017 में संशोधन करना है ताकि 07.03.2024 से निर्धारित शर्तों के अधधीन, मांस और खाद्य ऑफल, बतख, फ्रोजन के आयात पर मूल सीमा शुल्क को 30% से घटाकर 5% किया जा सके तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(तेरह) सा.का.नि.180(अ) जो दिनांक 12 मार्च, 2024 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा सोने के आयात पर मूल सीमा शुल्क (बीसीडी) और कृषि अवसंरचना और विकास उपकर (एआईडीसी) के भुगतान से छूट देना है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(चौदह) सा.का.नि.192(अ) जो दिनांक 14 मार्च, 2024 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय अधिसूचना संख्या 57/2017-सीमा शुल्क दिनांक 30.06.2017 में संशोधन करना है ताकि कतिपय स्मार्ट पहनने योग्य उपकरणों पर बीसीडी दरों को संशोधित किया जा सके तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(पन्द्रह) सा.का.नि.196(अ) जो दिनांक 14 मार्च, 2024 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय अधिसूचना संख्या 25/2021-सीमा शुल्क दिनांक 31.03.2021 में संशोधन करना है ताकि भारत-मॉरीशस व्यापक आर्थिक सहयोग और साझेदारी समझौते के अनुसार विनिर्दिष्ट वस्तुओं के मॉरीशस से आयात किए जाने पर प्रशुल्क रियायतों को बढ़ाया जा सके तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(सोलह) सा.का.नि.206(अ) जो दिनांक 15 मार्च, 2024 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय भारी उद्योग मंत्रालय द्वारा अधिसूचित 'भारत में इलेक्ट्रिक यात्री कारों के निर्माण को बढ़ावा देने की योजना' के अनुसार इलेक्ट्रिक यात्री वाहनों की पूरी तरह से निर्मित इकाइयों के आयात पर रियायती बीसीडी को लागू करना है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(सत्रह) सा.का.नि.207(अ) जो दिनांक 15 मार्च, 2024 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय भारी उद्योग मंत्रालय द्वारा अधिसूचित 'भारत में इलेक्ट्रिक यात्री कारों के निर्माण को बढ़ावा देने की योजना' के तहत आयातित इलेक्ट्रिक यात्री वाहनों की पूरी तरह से निर्मित इकाइयों पर समाज कल्याण अधिभार (एसडबल्यूएस) से छूट देना है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(अठारह) सा.का.नि.213(अ) जो दिनांक 15 मार्च, 2024 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय अधिसूचना संख्या 22/2022-सीमा शुल्क दिनांक 30.04.2022 में संशोधन करना है ताकि भारत-यूई व्यापक आर्थिक सहयोग और साझेदारी समझौते के अनुसार यूई से विनिर्दिष्ट वस्तुओं के आयात किए जाने पर प्रशुल्क रियायतों को बढ़ाया जा सके तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(उन्नीस) सा.का.नि.236(अ) जो दिनांक 2 अप्रैल, 2024 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय विनिर्दिष्ट शर्तों के अधधीन, 1000 मीट्रिक टन से अनधिक काला नमक चावल के निर्यात पर लागू

लगने वाले शुल्क पर पूरी छूट देना है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(बीस) सा.का.नि.244(अ) जो दिनांक 5 अप्रैल, 2024 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय अधिसूचना संख्या 64/2023-सीमा शुल्क, 07.12.2023 में संशोधन करना है ताकि 30.06.2024 को या उससे पहले जारी किए गए बिल ऑफ लैडिंग के साथ पीली मटर की शुल्क मुक्त आयात की अनुमति दी जा सके तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(इक्कीस) सा.का.नि.269(अ) जो दिनांक 3 मई, 2024 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय विनिर्दिष्ट सीमा शुल्क प्रशुल्क अधिसूचनाओं में संशोधन करना है ताकि 04.05.2024 से 31.03.2025 तक देसी चना (एचएस 0713 20 20) के आयात पर लागू आयात शुल्क की छूट दी जा सके; प्याज (एचएस 0703 10) के निर्यात पर 40% का प्रभावी निर्यात शुल्क लगाया जा सके; 31.10.2024 को या उससे पहले जारी किए गए लदान के बिल में पीले मटर (एचएस 0713 10 10) के आयात के लिए विनिर्दिष्ट शर्त या छूट का विस्तार किया जा सके तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(बाईस) सा.का.नि.270(अ) जो दिनांक 6 मई, 2024 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय अधिसूचना संख्या 50/2017-सीमा शुल्क दिनांक 30.06.2017 के क्रम संख्या 359 क की सूची 34 क और सूची 34 ख में संशोधन करना है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(तेईस) सा.का.नि.352(अ) जो दिनांक 27 जून, 2024 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय रक्षा मंत्रालय या रक्षा बलों या रक्षा सार्वजनिक क्षेत्र की इकाइयों (पीएसयू) या अन्य पीएसयू या रक्षा बलों के लिए किसी अन्य इकाई द्वारा विनिर्दिष्ट रक्षा उपकरणों और पुर्जों के आयात पर 05 साल की अवधि के लिए अर्थात् 30 जून, 2024 तक सीमा शुल्क और एकीकृत कर पूर्ण छूट का विस्तार करना है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(Placed in Library, See No. LT 168/18/24)

(4) अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 182(अ) जो दिनांक 12 मार्च, 2024 को भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 की धारा 8 क की उप-धारा (1) के अंतर्गत जारी उक्त अधिनियम की पहली अनुसूची के अध्याय 90 में विशिष्ट टैरिफ मदों में संशोधन करना है, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(Placed in Library, See No. LT 169/18/24)

(5) सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 की धारा 9 क की उप-धारा (7) के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):-

(एक) सा.का.नि. 143 (अ) जो दिनांक 28 फरवरी, 2024 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय अधिसूचना संख्या 14/2019-सीमा शुल्क (एडीडी) दिनांक 25.03.2019 में संशोधन करना है ताकि डीजीटीआर की सिफारिश के अनुसरण में निर्माता का नाम 'मैसर्स मित्सुई फिनोल्स सिंगापुर पीटीई लिमिटेड' से मैसर्स आईएनईओएस फेनोल्स सिंगापुर पीटीई लिमिटेड किया जा सके तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(दो) सा.का.नि. 197 (अ) जो दिनांक 14 मार्च, 2024 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय डीजीटीआर की अंतिम निष्कर्षों के अनुसरण में 5 वर्ष के लिए चीन जनवादी गणराज्य और हांगकांग से आयातित मुद्रित सर्किट बोर्डों (पीसीबी) पर एडीडी अधिरोपित करना है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(तीन) सा.का.नि. 198 (अ) जो दिनांक 14 मार्च, 2024 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय डीजीटीआर द्वारा जारी अंतिम निष्कर्षों के अनुसरण में दक्षिण कोरिया, सिंगापुर और संयुक्त राज्य अमेरिका से आयातित "पैरा-तृतीयक ब्यूटाइल फिनोल (पीटीबीपी)" पर 5 वर्ष के लिए प्रतिपाटन शुल्क अधिरोपित करना है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(चार) सा.का.नि. 199 (अ) जो दिनांक 14 मार्च, 2024 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय डीजीटीआर द्वारा जारी अंतिम निष्कर्षों के अनुसरण में चीन जनवादी गणराज्य से आयातित "एथिलीन विनाइल एसीटेट (ईवा) शीट फॉर सोलर मॉड्यूल" पर 5 वर्ष के लिए प्रतिपाटन शुल्क जारी रखना है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(पाँच) सा.का.नि. 200 (अ) जो दिनांक 14 मार्च, 2024 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय डीजीटीआर द्वारा जारी अंतिम निष्कर्षों के अनुसरण में चीन जनवादी गणराज्य से आयातित "स्वयं चिपकने वाला विनाइल (एसएवी)" पर 3 वर्ष के लिए प्रतिपाटन शुल्क अधिरोपित करना है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(छह) सा.का.नि. 209(अ) जो दिनांक 15 मार्च, 2024 को भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय अधिसूचना संख्या 17/2019-सीमा शुल्क (एडीडी) दिनांक 9 अप्रैल, 2019 के तहत अधिरोपित चीन जनवादी गणराज्य में उत्पन्न या निर्यात किए गए "कास्ट एल्युमिनियम मिश्र धातु सड़क पहियों" के आयात पर और पांच वर्षों की अवधि के लिए प्रतिपाटन शुल्क (एडीडी) का विस्तार करना है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(सात) सा.का.नि.278(अ) जो दिनांक 16 मई, 2024 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय डीजीटीआर द्वारा जारी अंतिम निष्कर्षों के अनुसरण में, चीन जनवादी गणराज्य, सऊदी अरब और ताइवान से आयातित "पेंट्राएरिथ्रिटोल" पर 5 वर्षों के लिए प्रतिपाटन शुल्क उद्ग्रहीत करना है, तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(आठ) सा.का.नि.323(अ) जो दिनांक 13 जून, 2024 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय चीन जनवादी गणराज्य, कोरिया गणराज्य, मलेशिया, नॉर्वे, ताइवान और थाईलैंड से उद्भूत अथवा वहां से निर्यातित पॉली विनाइल क्लोराइड रेजिन पेस्ट के आयात पर छह महीने की अवधि के लिए अनंतिम प्रतिपाटन शुल्क उद्ग्रहीत करना है, तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(नौ) सा.का.नि. 348(अ) जो दिनांक 27 जून, 2024 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय चीन जनवादी गणराज्य, यूरोपियन संघ, जापान, और कोरिया गणराज्य से उद्भूत अथवा वहां से निर्यातित "सोडियम साइनाइड" के आयात पर प्रतिपाटन शुल्क उद्ग्रहीत करना है, तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(दस) सा.का.नि. 349(अ) जो दिनांक 27 जून, 2024 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय डीजीटीआर द्वारा जारी अंतिम निष्कर्षों के अनुसरण में, चीन जनवादी गणराज्य और कोरिया गणराज्य से उद्भूत अथवा वहां से निर्यातित "पूरी तरह से संयोजित स्थिति में मिश्र धातु इस्पात छेनी/उपकरण और हाइड्रोलिक रॉक बीकर(एचआरबीसी)" पर 5 वर्षों की अवधि के लिए प्रतिपाटन शुल्क उद्ग्रहीत करना है, तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(ग्यारह) सा.का.नि.350(अ) जो दिनांक 27 जून, 2024 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय डीजीटीआर द्वारा जारी अंतिम निष्कर्षों के अनुसरण में, चीन जनवादी गणराज्य से उद्भूत अथवा वहां से निर्यातित ?इलेक्ट्रोलाइटिक टिन प्लेट (ईटीपी) सहित टिन प्लेट जिसका आयाम 401 व्यास (99 एमएम) और 300 व्यास (73 एमएम) हो, के आसानी से खुलने वाले सिरो?? पर 5 वर्षों की अवधि के लिए प्रतिपाटन शुल्क उद्ग्रहीत करना है, तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(बारह) सा.का.नि.351(अ) जो दिनांक 27 जून, 2024 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय डीजीटीआर द्वारा जारी प्रारंभिक निष्कर्षों के अनुसरण में, चीन जनवादी गणराज्य से उद्भूत अथवा वहां से निर्यातित, "टेलीस्कोपिक चैनल ड्रॉअर स्लाइडर" के आयात पर छह माह की अवधि के लिए अनंतिम प्रतिपाटन शुल्क उद्ग्रहीत करना है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(तेरह) सा.का.नि.171(अ) जो दिनांक 11 मार्च, 2024 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय व्यापार उपचार महानिदेशालय(डीजीटीआर) के अनुरोध पर चीन जनवादी गणराज्य से उद्भूत अथवा वहां से निर्यातित " बसों और लॉरियों/ट्रकों में उपयोग किए जाने वाले नए/अप्रयुक्त न्यूमेटिक रेडियल टायर जिनमें ट्यूब और/या रबर का फ्लैप हो (ट्यूबलेस टायर सहित), जिनका सांकेतिक रिम व्यास 16" से अधिक हो" के आयात पर दिनांक 24 जून, 2019 की अधिसूचना संख्या 01/2019/सीमाशुल्क(सीवीडी) द्वारा अधिरोपित प्रतिकारी शुल्क को 23 जुलाई 2024 तक की अवधि के लिए बढ़ाना है, तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(चौदह) सा.का.नि.294(अ) जो दिनांक 28 मार्च, 2024 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय चीन जनवादी गणराज्य से आयातित 'सभी रूपों में साकारीन' पर प्रतिकारी शुल्क के उद्ग्रहण को 28 फरवरी, 2025 तक बढ़ाने के लिए 30 अगस्त, 2019 की अधिसूचना संख्या 2/2019-सीमा शुल्क (सीवीडी) में संशोधन करना है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(Placed in Library, See No. LT 170/18/24)

(6) केन्द्रीय उत्पाद शुल्क अधिनियम, 1944 की धारा 38 की उप-धारा (2) के अन्तर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):-

(एक) सा.का.नि.71(अ) जो दिनांक 25 जनवरी, 2024 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे, तथा जिनका आशय अमिश्रित डीजल हेतु अतिरिक्त उत्पाद शुल्क की प्रयोज्यता का विस्तार करने के लिए दिनांक 30 जून, 2017 की अधिसूचना संख्या 11/2017-के.उ.शु. में और संशोधन करना है, तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(दो) सा.का.नि. 111(अ) जो दिनांक 15 फरवरी, 2024 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे, तथा जिनका आशय पेट्रोलियम क्लूड के उत्पादन पर विशेष अतिरिक्त उत्पाद शुल्क को बढ़ाने के लिए दिनांक 19

(बारह) सा.का.नि. 328(अ) जो दिनांक 14 जून, 2024 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय पेट्रोलियम क्रूड के उत्पादन पर विशेष अतिरिक्त उत्पाद शुल्क को कम करने के लिए दिनांक 19 जुलाई, 2022 की अधिसूचना संख्या 18/2022-के.उ.शु. में संशोधन करना है, तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(Placed in Library, See No. LT 171/18/24)

(7) सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 की धारा 28(क) के अंतर्गत जारी निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):-

(एक) सा.का.नि.65(अ) जो दिनांक 24 जनवरी, 2024 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय 01.02.2022 से 27.04.2023 तक की अवधि के लिए पहनने योग्य वस्तुओं के आयात पर सीमा शुल्क नहीं लगाना है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(दो) सा.का.नि.66(अ) जो दिनांक 24 जनवरी, 2024 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय 01.02.2022 से 27.04.2023 तक की अवधि के लिए श्रवण योग्य वस्तुओं के आयात पर सीमा शुल्क नहीं लगाना है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(Placed in Library, See No. LT 172/18/24)

(8) सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 की धारा 158 के अंतर्गत जारी निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):-

(एक) समुद्री कार्गो मैनीफेस्ट और ट्रांसशिपमेंट (पहला संशोधन) विनियम, 2024 (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) जो दिनांक 28 मार्च, 2024 को भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 235(अ) में प्रकाशित हुए थे तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(दो) समुद्री कार्गो मैनीफेस्ट और ट्रांसशिपमेंट (दूसरा संशोधन) विनियम, 2024 (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) जो दिनांक 30 जून, 2024 को भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 356(अ) में प्रकाशित हुए थे तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(Placed in Library, See No. LT 173/18/24)

(9) केन्द्रीय बिक्री कर अधिनियम, 1956 की धारा 13 के अंतर्गत अधिसूचना संख्या का.आ.834(अ) जो दिनांक 23 फरवरी, 2024 को भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा जिसके द्वारा मेसर्स एसएनवी एविएशन प्राइवेट लिमिटेड (आकासा एयर) जिसका पंजीकृत कार्यालय 12 वां तल, उर्मि एस्टेट, 95 गणपतराव कदम मार्ग, लोअर परेल (पश्चिम), मुम्बई, महाराष्ट्र-400013 में है, को उक्त अधिनियम की धारा 5 की उप-धारा (5) के प्रयोजनार्थ "नामित भारतीय वाहक" के रूप में अधिसूचित किया गया है, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(10) उपर्युक्त (9) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(Placed in Library, See No. LT 174/18/24)

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF ENVIRONMENT, FOREST AND CLIMATE CHANGE; AND MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF EXTERNAL AFFAIRS (SHRI KIRTI VARDHAN SINGH): Hon. Speaker, Sir, I beg to lay on the Table:-

(1) A copy each of the following Notifications (Hindi and English versions) under sub-section (2) of Section 63 of the Wild Life (Protection) Act, 1972:-

(i) The Living Animal Species (Reporting and Registration) Rules, 2024 published in Notification No. G.S.R.145(E) in Gazette of India dated 29th February, 2024.

(ii) The Captive Elephant (Transfer or Transport) Rules, 2024 published in Notification No. G.S.R.191(E) in Gazette of India dated 14th March, 2024.

(iii) The Wild Life (Protection) Licencing (Additional Matters for Consideration) Rules, 2024 published in Notification No. G.S.R.46(E) in Gazette of India dated 18th January, 2024.

(iv) The Wild Life (Transactions and Taxidermy) Rules, 2024 published in Notification No. G.S.R.47(E) in Gazette of India dated 19th January, 2024.

(v) The Scheduled Specimen (Conditions and Procedure for exemption), Rules, 2024 published in Notification No. G.S.R.130(E) in Gazette of India dated 23rd February, 2024.

(Placed in Library, See No. LT 175/18/24)

(2) A copy of the Notification No. S.O.943(E) (Hindi and English versions) published in Gazette of India dated 29th February, 2024, authorizing the Chief Wild Life Wardens of all States and Union territories, in their respective jurisdictions, to perform the functions of the Management Authority issued under Section 49M of the Wild Life (Protection) Act, 1972 Act and the rules made thereunder.

(Placed in Library, See No. LT 176/18/24)

(3) A copy of the Notification No. S.O.944(E) (Hindi and English versions) published in Gazette of India dated 29th February, 2024, authorizing the Officers of the Wild Life Crime Control Bureau, not below the rank of Head Constable in relation to the specimens of species listed in Schedule IV to the said Act, to exercise the powers and perform functions under Section 50 of the Wild Life (Protection) Act, 1972 issued under Section 50 of the Wild Life (Protection) Act, 1972 Act.

(Placed in Library, See No. LT 177/18/24)

शिक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री; तथा उत्तर पूर्वी क्षेत्र विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (डॉ. सुकान्त मजूमदार) : अध्यक्ष महोदय, मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूँ:-

(1) विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम, 1956 की धारा 28 के अंतर्गत विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (मुक्त एवं दूरस्थ शिक्षा कार्यक्रम तथा ऑनलाइन कार्यक्रम) तीसरा संशोधन विनियम, 2024, जो दिनांक 3 मई, 2024 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं. एफ. 1-5/2024 (डीईबी-1) में प्रकाशित हुए थे, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(Placed in Library, See No. LT 178/18/24)

(2) इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय, नई दिल्ली के वर्ष 2022-2023 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।

(3) उपर्युक्त (2) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल में रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(Placed in Library, See No. LT 179/18/24)

(4) (एक) इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस्ड स्टडी, शिमला के वर्ष 2022-2023 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस्ड स्टडी, शिमला के वर्ष 2022-2023 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(5) उपर्युक्त (4) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल में रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(Placed in Library, See No. LT 180/18/24)

(6) (एक) भारतीय सामाजिक विज्ञान अनुसंधान परिषद, नई दिल्ली के वर्ष 2022-2023 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) भारतीय सामाजिक विज्ञान अनुसंधान परिषद, नई दिल्ली के वर्ष 2022-2023 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(7) उपर्युक्त (6) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल में रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(Placed in Library, See No. LT 181/18/24)

(8) (एक) भारतीय इतिहास अनुसंधान परिषद, नई दिल्ली के वर्ष 2022-2023 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) भारतीय इतिहास अनुसंधान परिषद, नई दिल्ली के वर्ष 2022-2023 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(9) उपर्युक्त (8) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल में रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(Placed in Library, See No. LT 182/18/24)

(10) (एक) मौलाना आज़ाद राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान, भोपाल के वर्ष 2022-2023 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) मौलाना आज़ाद राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान, भोपाल के वर्ष 2022-2023 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(11) उपर्युक्त (10) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल में रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(Placed in Library, See No. LT 183/18/24)

(12) (एक) सरदार वल्लभभाई राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान, सूरत के वर्ष 2022-2023 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) सरदार वल्लभभाई राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान, सूरत के वर्ष 2022-2023 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(13) उपर्युक्त (12) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल में रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(Placed in Library, See No. LT 184/18/24)

(14) (एक) मोतीलाल नेहरू राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान इलाहाबाद, प्रयागराज के वर्ष 2022-2023 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) मोतीलाल नेहरू राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान इलाहाबाद, प्रयागराज के वर्ष 2022-2023 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(15) उपर्युक्त (14) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल में रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(Placed in Library, See No. LT 185/18/24)

(16) (एक) राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान, श्रीनगर के वर्ष 2022-2023 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(दो) राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान, श्रीनगर के वर्ष 2022-2023 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।

(तीन) राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान, श्रीनगर के वर्ष 2022-2023 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(17) उपर्युक्त (16) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल में रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(Placed in Library, See No. LT 186/18/24)

(18) (एक) राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान, तिरुचिरापल्ली के वर्ष 2022-2023 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान, तिरुचिरापल्ली के वर्ष 2022-2023 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(19) उपर्युक्त (18) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल में रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(Placed in Library, See No. LT 187/18/24)

(20) (एक) भारतीय विश्वविद्यालय संघ, नई दिल्ली के वर्ष 2022-2023 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(दो) भारतीय विश्वविद्यालय संघ, नई दिल्ली के वर्ष 2022-2023 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।

(तीन) भारतीय विश्वविद्यालय संघ, नई दिल्ली के वर्ष 2022-2023 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) ।

(21) उपर्युक्त (20) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल में रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(Placed in Library, See No. LT 188/18/24)

-